"निर्माण–श्रमिकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय योजना"

1– **योजना का नाम–** "निर्माण–श्रमिकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय योजना"

2– **योजना का उद्देश्य :**

प्रायः देखा जाता है कि निर्माण–श्रमिकों के बच्चे अपने माता–पिता के साथ कार्य स्थल पर ही रहते हैं। माता–पिता की गरीबी तथा साधनहीनता के कारण ऐसे बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले पाते हैं अथवा प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते है। निर्माण–श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

3– **पात्रता :**

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत सभी निर्माण–श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

4– **योजना का क्षेत्र :**

प्रारम्भ में जनपद इटावा, भदोही, कन्नौज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, ललितपुर, बहराइच, गाजियाबाद, कानपुर, आजमगढ़, आगरा एवं मेरठ में आवासीय विद्यालय योजना का संचालन किया जायेगा। बाद में प्राप्त अनुभवों एवं आवश्यकता के आधार पर अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से इस योजना का विस्तार अन्य जनपदों में भी किया जायेगा।

5– **रुपरेखा/क्रियान्वयन :**

योजना का संचालन महिला समाख्या/गैर सरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा। कक्षा 5 तक की शिक्षा 2 वर्ष के ब्रिज कोर्स के रूप में होगी। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा 3 वर्ष की होगी। अग्रेतर कक्षाओं अर्थात कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा देने के लिये, अनुभव के आधार पर, कालान्तर में तत्समय अलग से योजना बनायी जायेगी। योजना के अन्तर्गत विद्यालय पूर्णतः आवासीय यथावश्यक अलग–अलग या फिर सह–शिक्षा के आधार पर संचालित होंगे। विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद/सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0–जो भी उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा–द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जायेगी।

प्रत्येक विद्यालय में 4 पूर्णकालिक अध्यापक, 3 अंशकालिक अध्यापक, 1 वार्डेन, 1 लेखाकार, 4 चौकीदार/चपरासी, 1 मुख्य रसोईया एवं 1 सहायक रसोईया नियोजित होंगे। प्रत्येक आवासीय विद्यालय कम से कम 5 कक्ष होंगे, जिनमें से 1 कक्ष अध्यापकों के लिए, 1 कक्ष कार्यालय के लिये तथा 3 कक्ष बच्चों की शिक्षा के उपयोग के लिये होंगे। प्रथम दो कक्ष 15X20 वर्ग फीट क्षेत्रफल के तथा शेष 3 कक्ष 25X25 वर्ग फीट क्षेत्रफल के होंगे। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 03 शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन का होना आवश्यक है।

आवासीय विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक–पृथक छात्रावास की व्यवस्था होगी। ऐसे प्रत्येक आवास/कक्ष/डारमेट्री कम से कम 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल का होगा। छात्र/छात्राओं के लिए कम से कम 3–3 पृथक–पृथक शौचालय एवं स्नानगृह होंगे। प्रत्येक छात्रावास में 1 किचन होगा तथा कम से कम 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल का भोजनालय–कक्ष होगा। छात्रावास में कम से कम 15X20 वर्ग फीट का एक कक्ष वार्डेन के लिए होगा। आवासीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं को प्रतिदिन प्रातःकाल नाश्ता, मध्याह्न भोजन, सांयकालीन चाय तथा रात्रिकालीन भोजन (डिनर) दिया जायेगा। मीनू का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा। छात्रावास में स्वच्छ पेयजल, खेल–कूद एवं मनोरंजन की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

विद्यालय के संचालन हेतु समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा नामित संस्था (विद्याालय संचालन हेतु) द्वारा की जायेगी। ऐसे विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी कार्यवाही भी सम्बन्धित संस्था द्वारा की जायेगी। छात्रावास में भोजन सुरक्षा, साफ–सफाई आदि का दायित्व भी सम्बन्धित संस्था का होगा। विद्यालय के संचालन हेतु सम्बन्धित संस्था के चयन के उपरान्त चयनित संस्था एवं सचिव, बोर्ड के मध्य सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत आवासीय विद्यालय संचालन की शर्तें, भुगतान की प्रक्रिया आदि निर्धारित की जायेगी। आवासीय विद्यालय के संचालन का बजट कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के आधार पर होगा।

6– पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन :

योजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालय का नियमित पर्यवेक्षण स्थानीय श्रम कार्यालय/बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण–आख्या सम्बन्धित क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त एवं बोर्ड को प्रेषित की जायेगी। ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा भी स्वयं या अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों द्वारा किया/कराया जा सकता है। पर्यवेक्षण आख्या के आधाार पर संचालित आवासीय विद्यालय का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा नामित संगठन/विभाग/समिति द्वारा किया जायेगा तथा मूल्यांकन के आधार पर संस्था के अनुबन्ध के नवीनीकरण के सम्बन्ध में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

7– कठिनाइयों का निवारण :

आवासीय विद्यालय योजना के संचालन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश/आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

:: अधिसूचना ::

"उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"आवासीय विद्यालय योजना"** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन के अनापत्ति संबंधी आदेश संख्या : 04/छत्तीस–2–15–67/14, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"आवासीय विद्यालय योजना"** अधिसूचित की जाती है।

उपर्युक्त के अनुक्रम में उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

भवदीय

(एस0डी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लेखराज मार्केट–2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

पत्रांक : 7795-31 /भ0नि0बो0(853)–15 दिनांक:– 26/2/15

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या : 04/छत्तीस–2–15–67/14, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नक – यथोक्त।

(राजीव मिश्रा)
सहायक सचिव, बोर्ड।